नागपुर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में "Under Jurisdiction of Nagpur Court Only"

वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

Western Coalfields Limited

OFFICE OF THE AREA GENERAL MANAGER,KANHAN AREA ,

PO :JUNNARDEO DIST.CHHINDWARA (M.P.) 480553

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

Fax 07160-230520

E-mail- cgmkan@gmail.com

CIN – U10100MH1975GO1018626

पंजी. कार्या : कोल ईस्टेट ,सिविल लाइन्स , नागपुर –44001 Regd. Offi ,: Coal Estate Civil Lines , Nagpur-44001

Ref No. वेकोलि /कन्हान/क्षेमहाप्र/योजना/2021 / 1480 दिनांक 01/06/23

प्रति

श्रीमान वन मंडलाधिकारी,
पश्चिम(सा.) वन मण्डल
जिला– छिन्दवाड़ा

विषय– Compliance Report under Ref. No. क्रमांक / मा.चि. /2021/5606 छिंदवाड़ा दिनांक 25/10/2021

संदर्भ– छिन्दवाड़ा जिले के जामई वन परिक्षेत्र के अंर्तगत आने वाले कक्ष क्रमांक 454 सी.एफ.डी. में से रकबा 19.50 हेक्टेयर वन भूमि वेकोलि, कन्हान क्षेत्र को खुली खदान चलाते हेतु उपयोग पर देने बावत् ।

1 वन एवं पर्या. मंत्रालय का पत्र क्र– एफ.न.–8–112/2006 एफ.सी. (वोल) दिनांक –17.01.2015
2 सचिव वन विभाग म.प्र. शासन का पत्र–479/342/2015/10–3 भोपाल दिनांक– 26.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित एवं पत्रानुसार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा छिन्दवाडा जिले के जामई वन परिक्षेत्र के अंर्तगत आने वाले कक्ष क्रमांक 454 सी.एफ.डी. में से रकबा 19.50 हक्टेयर वन भूमि वेकोलि, कन्हान क्षेत्र को खुली खदान चलाते हेतु द्वितीय चरण कि स्वीकृती प्रदान की गई थी।

स्वीकृति पत्र में उल्लेखित निम्न शर्तो का पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है एवं उपरोक्त पत्रानुसार पालन रिर्पोट प्रस्तुत है

S.NO	PARTICULARS	COMPLIANCE
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रखने हेतु वचनबद्ध है।
2	व्ययपवर्तन हेतू प्रस्तावित वन भूमि के दुगने बिगड़े वन भूमि पर वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण के व्यय पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर उसका रखाव किया जायेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशी जमा की जा चुकि है जिसके दस्तावेज प्रथम चरण स्वीकृती के पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दिए गए थे।
3	निम्नलिखित कार्य उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर किये जायेंगे :-	

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
प्राप्ति क्रमांक
दिनांक 06.06.23
वन वृत्त छिन्दवाड़ा

	2. मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये खनन पट्टे के भीतर उपयुक्त क्षेत्र में र्प्यापत सूखा रोधी पौधो की प्रजातियों का रोपण एवं बीजों की बुआई की जायेगी।	संस्थान वचनबद्ध है।
	3. खोदी जाने वाली सामग्री को गिरने से रोकने के लिये चेक डैम का निर्माण एवं दीवार से पुरे क्षेत्र का घेराव किया जयेगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
	4. उत्खनित सामग्री को स्थिर रखने के किये उक्त सामग्री को सीढ़ीदार तरीके से अथवा इस तरह के ढलाने के रूप में रखा जायेगा कि उसका angle of reposeकिसी भी स्थल पर 28^{0}से कम न हो एवं	संस्थान वचनबद्ध है।
	5. सर्वोपरी मिट्टी (Top soil)प्रबंधन से पालन किया जायेगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
4	यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय में प्रत्यावर्तित वन भूमि के लिए अतिरिक्त नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की कोई धनराशि निर्धारित की जाती है, तो यह राशि उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूल की जायेगी तथा भारत सरकार को सूचित करते हुये उसे एडहॉक कैम्पा में हस्तांतरित किया जाएगा।	उपरोक्त प्रस्ताव की नेट प्रेजेन्ट वेल्यु की राषी पूर्व में कक्ष क्र 454 के ही 68.704 हेक्टेयर (भूमिगत) के प्रस्ताव हेतु जमा की गई राशी में समायोजित की गई है। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अतिरिक्त राशी अधोरोपित की जायेगी उसे आवेदक संस्थान जमा करने हेतु वचनबद्ध है।
5	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण द्वारा (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण मंजूरी, यदि आवश्यक है तो, प्राप्त की जायेगी।	आवेदक संस्थान द्वारा आवेदित भूमि पर पर्यावरणीय अनुमती एवं संचालन हेतु (EC & CTO) प्राप्त की हुई है जिसकी प्रति पूर्व में जमा की गई है।
6	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराई गई राशि से वन विभाग द्वारा सेफ्टी जोन की फेंसिंग, संवर्धन एवं वृक्षारोपण की जायेगी (खनन क्षेत्र की बाहरी सीमा को 7.5 मीटर पट्टी से चिन्हित किया जायेगा)।	उपरोक्त कार्य हेतू आवेदक संस्थान द्वारा राशी जमा की जा चुकी है एवं वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के मार्गदर्शन में किया गया है।
7	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशी से वन विभाग द्वारा अतिरिक्त वन भूमि के डेढ़ गुने क्षेत्रफल के बिगड़े वन पर वृक्षारोपण किया जायेगा।	आवेदक संस्थान द्वारा राशी पूर्व में जमा की जा चुकि है।
8	व्यपवर्तन हेतु प्रतावित वन भूमि से कोयला निकालने के लिए उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त वन भूमि के व्यपवर्तन की मांग की जायेगी।	आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त भूमि की मांग नही की जाएगी।
9	वन्यप्राणी कॉरिडोर को पुर्नस्थापित एवं पुर्नजीवित करने हेतु तथा पेंच कन्हान कोयला खदान से कोयला परिवहन के विपरीत प्रभाव को दुर या न्यूनतम करने के लिए NTCA द्वारा तैयार की जाने वाली योजना अनुसार आवश्यक राशि पर उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा समानुपातिक सहयोग दिया जाएगा।	वन विभाग मार्गदर्शन में आवेदक संस्थान द्वारा समानुपातिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
10	कण्डिका (ix) में उल्लेखित समानुपातिक सहयोग खुलि खान के लिए लीज में प्रदर्शित क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग या भूमिगत खान के लिए लीज में प्रदर्शित क्षेत्र के आधा क्षेत्र को राशी गणना में लिया जाएगा एवं यह राशि उपयोगकर्ता संस्थान से वसूल की जाएगी।	संस्थान वचनबद्ध है।

11	मुख्य वन्यजीव संरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा प्रोजेक्ट से वन्यजीव पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए किये गये आवश्यक उपायो के अनुपालन का निरिक्षण किया जाएगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
12	इस अनुमोदन के अर्न्तगत वनभूमि के अपवर्तन की अवधी खान एवं खनिज माईन्स एवं मिनिरल्स (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार स्वीकृत किये जाने वाले प्रस्तावित उत्खनन पट्टा के समय सीमा के साथ समन्वयित (Co-terminus)हो, जो अधिकतम 30 वर्षो की होगी।	संस्थान वचनबद्ध है।
13	वन विभाग द्वारा माईन्स लीज के बाहरी सीमा से 100 मीटर के क्षेत्र/घेरे में उपलब्ध बिगड़े /खुले वन (जहॉ वन घनत्व 0.4 से कम हो) को रिजुवेनेट तथा रिस्टॅाक करने के लिए वृक्षारोपण भूमि तथा जलसंरक्षण के कार्य उपयोगकर्ता अभिकरण के व्यय पर किये जाएंगे।	100 मीटर गेप प्लांटेशन की राशि वन विभाग को जमा करा दी गई है जिसके दस्तावेज प्रथम चरण स्वीकृती के पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जा चुके है।
14	माईनिंग क्षेत्र कि सीमा से 05 कि.मी की दुरी तक में अवस्थित तालाबो एवं पानी के स्त्रोतो में आवश्यकता पड़ने नर गाद (Silt) निकालने का कार्य उपयोगकर्ता संस्थान करेगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
15	उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा उत्खनन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। उत्खनित क्षेत्र के रीक्लेमेशन के बाद ही अगले क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जायेगा। कनकरेंट रिक्लेमेशन योजना क्रियान्वन प्रथम वर्ष से ही प्रारम्भ किया जाएगा एवं इस योजना के क्रियान्वन का वार्षिक प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश तथा क्षेत्रिय कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय भोपाल को प्रेषित किया जाएगा अगर वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया जाता है कि कनकरेंट रिक्लेमेंशन योजना में दर्शित गतिविधियॉ उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा क्रियान्वित नही की जा रही है तो नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) उत्खनन कार्य तब तक निलंबित रखेगें जब तक कि रिक्लेमेशन गतिविधियॉ संतोष जनक ढ़ग से क्रियान्वित नहीं की जाती।	संस्थान वचनबद्ध है।
16	वनभूमि पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किये जाएगें।	संस्थान वचनबद्ध है।
17	उपयोगकर्ता अभिकरण श्रमिकों और कार्यस्थल पर लगे कर्मचारियो के लिए वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगा जिससे कि आसपास के वन क्षेत्र को नुकसान तथा उन पर दबाव कों रोका जा सके।	संस्थान वचनबद्ध है।
18	माईनिंग लीज की बाउन्ड्री एवं सेफ्टी जोन का कार्य परियोजना लागत पर 4 फीट उचे आर.सी.सी. स्तम्भों का निर्माण करते हुए प्रत्येक स्तंभ पर क्रमांक अगला एवं पिछला बियरिंग, स्तंभ से स्तंभ की दुरी अंकीत कराते हुए भूमि पर चिन्हित किया जाएगा।	उपरोक्त कार्य हेतु राशी वन विभाग को जमा करा दी गई जिसके दस्तावेज प्रथम चरण स्वीकृती के पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जा चुके है।
19	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
20	वनों तथा वन्यप्राणियो के संरक्षण, अनुरक्षण तथा संर्वधन के हित में भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रिय भोपाल) द्वारा समय समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तोका पालनउपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
21	अनुमोदन में दी गई शर्तो के पालन की स्थिती का उल्लेख करते हुए, उपयोकर्ता अभिकरण एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शाशन तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवंज ल वायु परिवर्तन मंत्राल, क्षेत्रिय कार्यालय को प्रस्तुत करेगौ।	संस्थान वचनबद्ध है।

22	परियोजना पर लागू संबंधित अधिनियमों, नियमों, गाईड–लाईन के समस्थ प्रावधानों का कडाई से पालन किया जाएगा।	संस्थान वचनबद्ध है।
23	आवेदक विभाग / सरथान सेयह लिखित वचन पत्र लिया जाए की भारत सरकार / राज्य शाशन द्वारा उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त भविष्य में अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है ता वन उन्हें मान्य होगी।	संस्थान वचनबद्ध है।
24	भारत सरकार द्वारा जारी औपाचारिक अनुमोदन का यह हिंदी अनुवाद है। अत:किसी भी भ्रम की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी अंग्रेजी अनुमोदन मान्य होगा।	संस्थान वचनबद्ध है।

अत: उपरोक्तानुसार शर्तो का पालन किया जा रहा है तथा भविष्य में पालन करने हेतु संस्थान पूर्णरूपेण वचनबद्ध है।

भवदीय

01/06/23
वरी. सर्वेयर
घोरावाडी कालरी न.2

01/06/2023
प्रबंधक
घोरावाडी कालरी न.2

01.06.23
उपक्षेत्रिय प्रबंधक
घोडावाडी उप क्षेत्र

01/06/23
क्षेत्रिय सर्वेक्षण अधिकारी
वे.को.लि.,कन्हान क्षेत्र

01/06/22
क्षेत्रिय योजना अधिकारी
वे.को.लि.,कन्हान क्षेत्र

01.06.23
क्षेत्रिय महाप्रबंधक
वे.को.लि.,कन्हान क्षेत्र

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाडा वृत्त।
2. श्रीमान महाप्रबंधक (खनन) / भू–रा वे.को.लि., नागपुर।
3. श्रीमान क्षेत्रिय प्रबंधक, कन्हान क्षेत्रं।
4. श्रीमान क्षेत्रिय योजना अधिकारी, कन्हान क्षेत्रं।
5. श्रीमान उपक्षेत्रिय प्रबंधक, दातला उप क्षेत्र
6- प्रबंधक घोरावाडी कालरी न.2